प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक- 18 जुलाई, 2018

विषय- जिला कारागार, लखनऊ, रायबरेली एवं प्रतापगढ़ में ट्यूबवेल की स्थापना कराने हेतु प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-24056/नम-1/2018, दिनांक- 06 जुलाई, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जिला कारागार, लखनऊ, रायबरेली एवं प्रतापगढ़ में ट्यूबवेल की स्थापना कराने हेतु रू0 26.43 लाख, 24.71 लाख एवं रू0 34.84 लाख अर्थात कुल रू0 85.98 लाख की लागत पर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु शतप्रतिशत धनराशि रू0 85,98,000/- (रूपया पच्चासी लाख अठ्ठानवे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0	कार्य का नाम	नामित कार्यदायी संस्था	आगणन की लागत	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5
1	जिला कारागार, लखनऊ में कृषि कार्यों हेतु ट्यूबवेल की स्थापना	उ0प्र0 पुलिस आवास निगम	26.43	26.43
2	जिला कारागार, रायबरेली में कृषि कार्यों हेतु ट्यूबवेल की स्थापना	उ0प्र0 पुलिस आवास निगम	24.71	24.71
3	जिला कारागार, प्रतापगढ. में कृषि कार्यों हेतु ट्यूबवेल की स्थापना	उ0प्र0 पुलिस आवास निगम	34.84	34.84
		योग-	**85.98**	**85.98**

(1) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर से निर्माण कार्य की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी महानिरीक्षक कारागार की होगी तथा वे यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।

(3) कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत आगणन का नियमानुसार सक्षम स्तर से परीक्षण कराने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार का होगा।

(4) प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(7) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(8) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(9) कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के संपरीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जांये।

(10) लेबर सेस की धनराशि का नियमानुसार भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(11) उक्त निर्माण कार्य हेतु निर्विवाद भूमि की उपलब्धता का दायित्व विभाग का होगा।

(12) विभाग द्वारा समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(13) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप विभाग द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम स्तर लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।

3- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-051-निर्माण-04-कारागारों में जलापूर्ति एवं स्वच्छता में सुधार-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक/मद में उपलब्ध प्रावधान से वहन किया जायेगा

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक- 30.03.2018 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-72/2018/868(1)/22-4-2018-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(3) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पुलिस आवास निगम, लखनऊ।

(4) जिलाधिकारी, लखनऊ, रायबरेली एवं प्रतापगढ़।

(5) मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।

(6) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(7) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।

(8) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।

(9) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2

(10) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।